



19/06/24 पत्रावली पेश हुई। वकील गार्गी उपस्थित।  
 विद्यार्थीगण के सम्मत्ता नामिनगुहा पूर्व में प्राप्त  
 हुए जिसे शामिल पत्रावली किया गया है।  
 विद्यार्थीगण को जवाब का भयान होने के बावजूद  
 भी कोई जवाब पेश नहीं किया गया। (अतः उनका  
 जवाब बंद किया गया है। वकील गार्गी ने बयान  
 सुनने का निर्देश किया गया जिसे स्वीकार किया  
 जाकर वकील गार्गी की बयान सुनी गई। बयान पर  
 मतलब किया गया। पत्रावली का अध्ययन, भवलोका  
 किया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि गार्गी का  
 गार्गीता पर स्वीकार करने योग्य है। अतः न्यायवादी  
 निर्णय जल्दा से लिया जाकर शामिल पत्रावली किया  
 गया है। पत्रावली कैबल शुभारंभ होकर हाथिल हफ्तर  
 है। संख्या से एक कम है।

महोदय को सूचित किया जाता है कि  
 पत्रावली के संबंध में उक्त बातें  
 विद्यार्थीगण के सम्मत्ता नामिनगुहा पूर्व में प्राप्त  
 हुए जिसे शामिल पत्रावली किया गया है।

विद्यार्थीगण को जवाब का भयान होने के बावजूद  
 भी कोई जवाब पेश नहीं किया गया। (अतः उनका  
 जवाब बंद किया गया है। वकील गार्गी ने बयान  
 सुनने का निर्देश किया गया जिसे स्वीकार किया  
 जाकर वकील गार्गी की बयान सुनी गई। बयान पर  
 मतलब किया गया। पत्रावली का अध्ययन, भवलोका  
 किया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि गार्गी का  
 गार्गीता पर स्वीकार करने योग्य है। अतः न्यायवादी  
 निर्णय जल्दा से लिया जाकर शामिल पत्रावली किया  
 गया है। पत्रावली कैबल शुभारंभ होकर हाथिल हफ्तर  
 है। संख्या से एक कम है।

महोदय को सूचित किया जाता है कि  
 पत्रावली के संबंध में उक्त बातें  
 विद्यार्थीगण के सम्मत्ता नामिनगुहा पूर्व में प्राप्त  
 हुए जिसे शामिल पत्रावली किया गया है।

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं 124/2024 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

पुरखा बनाम नोजीदेवी वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री विरेन्द्रसिंह भाटी आर.ए.एस

प्रार्थी वकील - श्री करनाराम कड़वासरा

निर्णय


दिनांक - 19/06/2024

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र हाथला भू.अ.नि. क्षेत्र अरटी के मौजा बछवाल के खेत खसरा संख्या 184 रकबा 18.4536 हैक्टर, किस्म बा.सोयम स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र हाथला भू.अ.नि. क्षेत्र अरटी के मौजा बछवाल के खेत खसरा संख्या 184 रकबा 18.4536 हैक्टर, किस्म बा.सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनो पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19/06/24 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।



(विरेन्द्रसिंह भाटी)  
उपखण्ड अधिकारी  
सेड़वा

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. पुरखा पुत्र सवाई, जाति मेघवाल, निवासी बछवाल, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।		1. नोजीदेवी पत्नि देवा जाति रवारी 2. भुरा पुत्र वीहा 3. गुलाबा पुत्र वीहा 4. छगनलाल पुत्र डजाराम 5. खेताराम पुत्र जोधाराम 6. मगनराम पुत्र नानजी, जाति मेगवाल 7. रमेश पुत्र प्रभु 8. पदमा पुत्र मनजी 9. अणदा पुत्र मनजी भील 10. जगा पुत्र पुत्र पुनमा 11. सरदारा पुत्र पुनमा जाति रवारी, निवासी बछवाल, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 12. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन संख्या 124/2024

दिनांक : 19/06/24

### आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र हाथला भू.अ.नि. क्षेत्र अरदी के मौजा बछवाल के खेत खसरा संख्या 184 रकबा 18.4536 हैक्टर, किस्म बा.सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

(विरेंद्रसिंह भाटी)  
उपखण्ड अधिकारी

सेड़वा

दिनांक 21/06/24

क्रमांक/भू.अ./2024/2172-75

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी पुरखा पुत्र सवाई।
3. विप्रार्थीगण नोजीदेवी पत्नि देवा वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।

उपखण्ड अधिकारी  
सेड़वा